रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2018/फाल्गुन 9, 1939
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2018/PHALGUNA 9, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2018

सा.का.नि. 196(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के धार 110 के खण्ड धारा (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियॉं, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती है से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव(परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 या ई–मेलः js-tpt@gov.in को भेजे जा सकेंगें।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपवंधित के सिवाय ये नियम उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 115 के, उप–नियम (2) के खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :–

"(iii) उपर्युक्त खंड (i) या (ii) के अनुसार यथास्थित संदर्भ दस्तावेज टीएपी–115/116 में वर्णित, परीक्षण के दौरान प्राप्त वाहन के उत्सर्जन के परिणाम, मोटर वाहन के राज्य रजिस्टर या मोटर वाहन के केन्द्रीय रजिस्टर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किए जाएँगे। ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उत्सर्जन डेटा को जोड़ने के कार्यान्वयन की अनुसूची निम्न तालिका के अनुसार होगी।

तालिका

क्रम सं.	राज्यों की सूची	कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1 अप्रैल 2018
2.	हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश	1 अॅक्टूबर 2018
3.	उपरोक्त उल्लिखित क्रम संख्या 1 और 2 के अलावा अन्य सभी राज्य	1 अप्रैल 2019

[फा.सं. आर.टी.11021/47/2014–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण:–मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPOST AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2018

G.S.R. 196(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (g) section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport),email : ***js-tpt@gov.in***, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Amendment.....) Rules, 2018.

   (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules) after clause (ii) of sub rule (2) of rule 115, the following shall be inserted.

"(iii) In use vehicles emission results obtained during testing as per clause (i) or clause (ii) above, shall be electronically uploaded to State Register of Motor Vehicles or Central Register of Motor Vehicle as the case may be as detailed in reference document TAP-115/116. Schedule of the implementation of up linking of emission data through on line process shall be as per table below.

TABLE

Sr No.	List of States	Date of Implementation
(1)	(2)	(3)
1.	NCT of Delhi	1st April 2018
2.	Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh	1st October 2018
3.	All states except those mentioned in sr no.1 and 2	1st April 2019

"

[No. RT-11021/47/2014-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number ...... dated......

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.07 10:28:30 +05'30'